



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27583

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1866 वर्ष 2026

बनवारी लाल तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कुशल राज चौधरी, प्रदीप सक्सेना, राम नरेश मौर्य

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सक्सेना के साथ-साथ कुशल राज चौधरी तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें जून 1998 में वन विभाग में चालक के रूप में नियुक्त किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाओं को उत्तर प्रदेश समूह 'घ' पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का नियमितीकरण नियमावली, 2001 के तहत नियमित नहीं किया जा रहा था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने सेवाओं के नियमितीकरण के लिए रिट ए संख्या 41198 वर्ष 2003 दायर की, जिसे 18.07.2014 को निस्तारित करते हुए प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने की अपेक्षा की गई और उसके बाद याचिकाकर्ता की सेवाओं को 10.01.2020 से नियमित कर दिया गया। 23.09.2023 को एक वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 7 पर था, हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, 11.12.2025 को एक अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई जिसमें याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 4 पर स्थान मिला, हालांकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने सही वरिष्ठता निर्धारण के लिए एक प्रत्यावेदन दिया है।
3. वर्तमान याचिका में 22.12.2025 की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता की स्थिति को सही करने के निर्देश की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि यदि कोई अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है और याचिकाकर्ता ने वरिष्ठता की स्थिति में स्थान और फिटमेंट के संबंध में आपत्ति उठाई है, तो उस पर विचार किया जाएगा और यदि अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित हो चुकी है, तो याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार उसे चुनौती देने का विकल्प खुला है।
5. ऐसे निवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षकारों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता चौथे प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे, जो 27.02.2026 तक इसे प्राप्त होने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर सख्ती से कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि चौथा प्रत्यर्थी इस राय का है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष में गया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"